(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:–
सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 199 / 2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022 / 548

1. बस्तीराम पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

.... वादी

– ब ना म –

1. अतर सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति निवासी भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
2. उमरा पुत्र फुलु जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुन (राज.)
3. कमला
4. कृष्णा
5. किताबो पुत्रीयान फतराम जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
6. गणेश पुत्र जेराज जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
7. चन्दु पुत्र केहरा जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
8. चन्दु पुत्र श्योदान सिंह जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
9. जयनारायण पुत्र फुलु जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
10. जयनाराण पुत्र केहरा जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
11. डुंगाराम पुत्र अडुराम जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
12. नेतराम पुत्र रूपा जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
13. पुन्नी पुत्री फतराम जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
14. महावीर पुत्र सरदार सिंह जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
15. रविन्द्र कुमार पुत्र फतराम जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
16. राजेश कुमार पुत्र फतराम जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
17. रामकुमार पुत्र फतराम जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
18. शुभराम पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
19. श्योलाल पुत्र इश्वरराम जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
20. सुरजभान पुत्र फतराम जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
21. सुरजभान पुत्र केहरा जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
22. सहाबो पत्नी फतराम जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:38:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

23. सोनीदेवी पत्नी सरदार सिंह जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज.

.........प्रतिवादीगण

दावा बाबत– घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्ती

–निर्णय–

दिनांक– 17/4/2025

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम भूरीवास तहसील बुहाना जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता सं0 168 के ख0 न0 115 मे प्रति स0 1 ल0 23 दर्ज रिकार्ड है।

2. यह कि जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 में खाता सं0 156 के ख0 न0 115 रकबा 2.32 है0 में वादी दर्ज रिकॉर्ड है जिसमे वादी का हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 2 आना दर्ज रिकार्ड है।

3. यह कि सिग्रीगेशन विभाग के द्वारा वर्ष 2075 से 2078 के समय जमाबन्दी दर्ज करते समय वादी का नाम हजफ कर दिया व वादी के हिस्से की भूमि भी प्रतिवादीगण वादी के हिस्से में भाई में दर्ज कर दिया गया। जबकि राजस्व कर्मचारियों को ऐसा करने का हक व अधिकार नहीं था।

4. यह कि वाद पत्र के खण्ड स0 1 में वर्णित भूमि में प्रति0 1 ल0 23 के हिस्से इस तरह दर्ज है प्रति0 स0 1 का हिस्सा 1/90, प्रति0 स0 2 का हिस्सा 1/15, प्रति स0 3 का हिस्सा 1/180, प्रति0 स0 4 का हिस्सा 1/180 प्रति0 स0 5 का हिस्सा 1/180, प्रति0 स0 6 का हिस्सा 2/15 प्रति0 स0 7 का हिस्सा 1/130, प्रति0 स0 8 का हिस्सा 2/15, प्रति स0 9 का हिस्सा 1/15, प्रति0 स0 10 का हिस्सा 1/130 प्रति0 स0 11 का हिस्सा 2/15, प्रति0 स0 12 का हिस्सा 1/15, प्रति0 स0 13 का हिस्सा 1/180, प्रति0 स0 14 का हिस्सा 1/90, प्रति स0 15 का हिस्सा 1/180, प्रति0 स0 16 का हिस्सा 1/180, प्रति0 स0 17 का हिस्सा 2/45, प्रति0 स0 18 का हिस्सा 2/45, प्रति0 स0 19 का हिस्सा 2/15, प्रति0 स0 20 का हिस्सा 1/180, प्रति स0 21 का हिस्सा 1/130, प्रति0 स0 22 का हिस्सा 1/180, प्रति0 स0 23 का हिस्सा 1/190 दर्ज रिकार्ड है।

5. यह कि वाद पत्र के खण्ड सं0 1 वर्णित [illegible] हिस्से इसी तहर से दर्ज होने चाहिए थे वादी सं0 1 का हिस्सा 1/[illegible] 1/192, प्रति स0 2 का हिस्सा 1/16, प्रति0 स0 3 का हिस्सा 1/480, प्रति0 स0 4 का हिस्सा 1/96 प्रति0 स0 5 का हिस्सा 1/96, प्रति0 स0 6 का हिस्सा 1/8 प्रति0 स0 7 का हिस्सा 1/64, प्रति0 स0 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:38:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

2022/548

का हिस्सा 1/8, प्रति स0 9 का हिस्सा 1/16, प्रति0 स0 10 का हिस्सा 1/64 प्रति0 स0 11 का हिस्सा 1/18, प्रति0 स0 12 का हिस्सा 1/16, प्रति0 स0 13 का हिस्सा 1/96, प्रति0 स0 14 का हिस्सा 1/192, प्रति स0 15 का हिस्सा 1/480, प्रति0 स0 16 का हिस्सा 1/480, प्रति0 स0 17 का हिस्सा 2/24, प्रति0 स0 18 का हिस्सा 1/24, प्रति0 स0 19 का हिस्सा 1/8, प्रति0 स0 20 का हिस्सा 1/480, प्रति स0 21 का हिस्सा 1/64, प्रति0 स0 22 का हिस्सा 1/480, प्रति0 स0 23 का हिस्सा 1/192 दर्ज होनाचाहिए था लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा वादीगण का नाम हजफ कर दिया गया। जिसके कारण सभी के हिस्से गलत दर्ज हो गये है।

6. यह कि वादी ने अपना हिस्सा दर्ज करवाने के लिए प्रतिवादीगण से मिला तो प्रतिवादीगण को पता चला कि उक्त भूमि में वादी का नाम हजफ हो गया है तो प्रतिवादीगण उक्त भूमि का बेचान करने पर आमादा हो गये व कहने लगे कि हम तुम्हारे हिस्से की भूमि का बेचान करेंगें। इसलिए वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्याकंन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हुआ है कि प्रति0 स0 1 ल0 23 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये।

7. यह कि वादी ने अपनी भूमि की नकल ली तो उसे पता चला की वाद पत्र क खण्ड स0 1 में वर्णित भूमि में उसका नाम हजफ कर दिया गया तो वादी के लिए आवश्यक हो जाता है कि दावा रिकार्ड दुरूस्ती व घोषणात्मक खातेदारी पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

कि वाके ग्राम भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 168 के ख0 न0 115 रकबा 2.32 हैक्टर में वादी को 1/16 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 24 की तामील रजिस्टर डाक से होकर प्राप्त हुई। बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 17.03.2025 को [illegible] शपथ पत्र, दस्तावेज, पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्र[illegible]य [illegible]तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन [illegible] उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम भूरिवास स्थित भूमि [illegible] 168 के ख0 न0 115 रकबा 2.32 हैक्टर में वादी को 1/16 भाग का खातेदार काश्तक[illegible] घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:38:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

किये जाने के आदेश दिये जाते है वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

वकील वादी की बहस, पेश की निवेदन किया कि सभी प्रतिवादीयों की अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। साथ ही नवीन जमाबन्दी पेश कर बहस पूरी की रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने बताया कि वादीगण की पैतृक जमीन है जिसके जन्म से अधिकार निहित है अतः पत्रावली बहस, उपरान्त, दस्तावेज साक्ष्य में वादीगण द्वारा मिशल बंदोबस्त खतौनी या रजिस्टर, जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, जमाबन्दी सम्वत 2068–2071, जमाबन्दी सम्वत 2075–2078, मिलान क्षेत्रफल, की नकल प्रस्तुत की पूर्ण सात्विक रिकार्ड, शपथ पत्र के आधार पर वादी का दावा स्वीकार किया जाता है।

—::आदेश::—

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 168 के ख0 न0 115 रकबा 2.32 हैक्टर में वादी को 1/16 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कर रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 17/4/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:38:04 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस.
राजस्व वाद सं.– 199 / 2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022 / 548

बस्तीराम बनाम अंतरसिंह आदि

दावा बाबत– घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्ती

–:निर्णय:–

वादी की ओर से **श्री विकास कुमार एडवोकेट** की उपस्थिति व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती मे इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी**, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 मे स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 168 के ख0 न0 115 रकबा 2.32 हैक्टर में वादी को 1 / 16 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कर रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 17/4/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:38:04 IST
Reason: SelfAttested